

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 1979/भाद्र 16, 1901

No. 367] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 1979/BHADRA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, सामरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 521(अ)सं० ई (सी)प्रो, 1977/एएस(134) —आयात-निर्यात (नियंत्रण)  
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए  
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए  
निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 46वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में :—

(1) भाग "क" अनुसूची 1 में क्रम सं० 7 के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"छिला उतारे हुए नारियल पूर्ण, नारियल के प्रोटीन, नारियल शहद, नारियल के आटे और सुखाए हुए नारियल को छोड़कर नारियल और गिरी।"

(2) भाग "ख" अनुसूची 1 में क्रम सं० 98 के सामने प्रदर्शित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"98. नारियल, निम्नलिखित :—

- (1) छिला हुआ पूर्ण नारियल
- (2) नारियल प्रोटीन और नारियल शहद
- (3) नारियल आटा
- (4) सुखाया हुआ नारियल।"

(3) खुला सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 81 के बाव निम्नलिखित मध जोड़ी जाएगी :—

| 1   | 2                               | 3         |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 82. | नारियल प्रोटीन और<br>नारियल शहद | बी० 98(2) |

[मिमिक सं० 39/46/79-ई० II]

सी० वेक्टरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION  
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 7th September, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 521(E).E(C)O, 1977/AM(134):—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-sixth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977:—

(i) In Part 'A', Schedule I, the existing entry appearing against S. No. 7, shall be substituted by the following:—

"Coconut and Copra excluding Decorticated Coconut Whole, Coconut Protein, Coconut honey, Coconut flour and Dessicated Coconut".

(ii) In Part 'B', Schedule I, the entry appearing against S. No. 98 shall be substituted by the following:—

“98—Coconut, the following:—

- (i) Decorticated Coconut Whole
- (ii) Coconut Protein and Coconut honey
- (iii) Coconut Flour
- (iv) Dessicated Coconut”.

(iii) In OGL-3, the following item shall be added after S.No. 81:—

| 1   | 2                                 | 3        |
|-----|-----------------------------------|----------|
| 82. | Coconut Protein and Coconut honey | B.98(ii) |

[F. No. 38/16/79-E.II]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports

